(56)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/506/138 भोपाल, दिनांक 15/1/2014

(परिपत्र)

मध्य प्रदेश शासन के सेवको के लिये लागू प्रक्रिया के अनुसार राज्य मंडी बोर्ड सेवा के अधिकारियो एवं कर्मचारियो के अन्य विभागो या संस्थाओ मे नियुक्ति के लिये आवेदन अग्रेषित करने हेतु मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक 822-8279–एक दिनॉक 25.01.58 मे उल्लेखित प्रावधान अनुंसार निम्नानुसार मार्गदर्शी सिंद्वान्त निर्धारित किये जाते है :–

1. राज्य मंडी बोर्ड के अधीन स्थाई कर्मचारी के किसी अन्य विभाग अथवा संस्था में नियुक्ति हेतु आवेदन–पत्र अग्रेषित नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि जब उसने अपना पद स्वीकार कर लिया है और उस पर स्थाई हो चुका है उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपना सारा समय मंडी बोर्ड की सेवा मे आर्पित करे। उसका यह नैतिक दायित्व हो जाता है कि वह अपनी शक्ति को पूरी तरह उस पद या उस नौकरी के कर्तव्यों के पालन मे लगा दे और दूसरी जगह नौकरी तलाश करने मे अपना ध्यान न लगाये।

2. यदि एक अस्थाई कर्मचारी जिसे स्थाई कर दिये जाने की कोई समुचित संभावना नहीं हो तो किसी अन्य बेहतर नौकरी की तलाश मे उसका आवेदन अग्रेषित किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा करना जनहित की दृष्टि के विरूद्व न हो।

.3. उन अस्थाई कर्मचारियो के आवेदन–पत्र की जिनकी यथासमय स्थायी होने की पूर्ण संभावना हो –ऐसे सेवको की स्थिति उपर्युक्त (1) एवं (2) के बीच होती है । अतः गुण–दोष के आधार पर उनके आवेदन–पत्र पर विचार किया सकता है

4. ऐसे अस्थाई कर्मचारी के आवेदन–पत्र जिन्हें विशेषज्ञ तकनीकि प्रशिक्षण दिया गया हो या जिन्होंने नौकरी के बाद मंडी बोर्ड के खर्चे से व्यावहारिक तकनीकि अनुभव प्राप्त किया हो– ऐसे कर्मचारी को बोर्ड के व्यय पर तकनीकि प्रशिक्षण इसलिये दिया जाता है कि वह ऐसे पदों पर लोकहित में अधिक

कुशलता से कार्य कर सके। अतः मंडी बोर्ड के खर्चे पर प्राप्त अनुभव का लाभ किसी अन्य सेवा को देना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता अथवा अनुबंध के मुताबिक उसे उतनी अवधि तक नौकरी मे रहना आवश्यक है। अतः ऐसे मामले में आवेदन–पत्र रोके जा सकते है।

5. गैर सरकारी उपक्रमों में नौकरी के लिये आवेदन–पत्र के प्रकरणों में पहले मंडी बोर्ड की सेवा से त्याग–पत्र देना होगा अथवा सेवानिवृत्ति ले ली जाना चाहिये। ऐसी अशासकीय संस्थाओ के लिये आवेदन–पत्र अग्रेषित नहीं किया जाते है।

(प्रबंध संचालक महोदय के अनुमोदन से)

अपर संचालक(कार्मिक)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बोर्ड कार्मिक / ख / 506 / 139 भोपाल, दिनांक 15/1/2014

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए ।

1. निज सचिव, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
2. अपर संचालक / संयुक्त संचालक / उपसंचालक(समस्त) मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
3. कार्यालय संयुक्त संचालक
4. उप संचालक मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय भोपाल, उज्जैन, इन्दौर ग्वालियर,जबलपुर,सागर,रीवा (म.प्र.)
5. अध्यक्ष / सचिव कृषि उपज मंडी समिति.............................जिला.................. (म.प्र.)
6. आदेश नस्ती / समस्त शाखा..म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

अपर संचालक(कार्मिक)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

D:\RajeshMistri\Exam\Latter.docRajesh Mistry/Exam